क्रम-संख्या—2076

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 4 नवम्बर, 1989

कार्तिक 13, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2119/सत्रह–वि–1–1 (क) 26 - 1989

लखनऊ, दिनांक : 2 नवम्बर, 1989

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 30 अक्टूबर, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1989

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1989)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायेगा।

(2) यह 21 अप्रैल, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1971 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा–2 में,—

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(क) 'नियत दिनांक' का तात्पर्य अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट उपक्रमों के संबंध में 3 जुलाई, 1971 से है और अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट उपक्रमों के सम्बन्ध में 28 अक्तूबर, 1984 से है और अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में 24 अप्रैल, 1989 से है" ;

(ख) खण्ड (ज) में, शब्द "अनुसूची–एक या अनुसूची–दो में" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम की किसी अनुसूची में" रख दिये जायेंगे ।

धारा 7 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (5) में, शब्द "राज्य सरकार, यथास्थिति, अनुसूची एक या अनुसूची दो के स्तम्भ 2 में" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार इस अधिनियम की किसी अनुसूची के स्तम्भ 2 में" रख दिये जायेंगे; और शब्द "जो उसके सामने यथास्थिति, अनुसूची एक या अनुसूची दो के स्तम्भ 3 में" के स्थान पर शब्द "जो उसके सामने उस अनुसूची के स्तम्भ 3 में" रख दिये जायेंगे ।

धारा 16 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 16 म, उपधारा (1) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में,—

(क) शब्द "31 मार्च, 1970 या 31 मार्च, 1983 जैसा कि अनुसूची एक या अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट उपक्रम के सम्बन्ध में है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट उपक्रम के सम्बन्ध में इक्तीस मार्च, 1970, अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट उपक्रम के सम्बन्ध में इक्तीस मार्च, 1983 और अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट उपक्रम के सम्बन्ध में ऐसे दिनांक से है जो राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे (ऐसे दिनांकों को आगे विनिर्दिष्ट दिनांक कहा गया है)" रख दिये जायेंगे; और

(ख) शब्द "जो निगम की राय में 31 मार्च, 1970 या 31 मार्च, 1983 जैसा कि अनुसूची एक या अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट उपक्रम के सम्बन्ध में है, के पूर्व" के स्थान पर शब्द "जो निगम की राय में विनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व" रख दिये जायेंगे;

नयी अनुसूची तीन का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की अनुसूची दो के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"अनुसूची—तीन

(धारा 2 (ज) और 7 (5) देखिये)

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2	स्तम्भ 3
क्रम-संख्या	फैक्ट्री जिस नाम से फैक्ट्रीज के मुख्य निरीक्षक, उत्तर प्रदेश के यहां पंजीकृत है और उसका पता (नोट—जहां फैक्ट्री उस कम्पनी या फर्म के नाम में पंजीकृत है जिसका फैक्ट्री पर स्वामित्व है अथवा जो फैक्ट्री को पट्टे पर धारण किए हैं तो यथा पंजीकृत नाम ही इस में स्तम्भ लिखा है, किन्तु इस प्रकार के उल्लेख से यह अर्थ नहीं निकाला जायेगा कि धारा 3 के अधीन वह कम्पनी अथवा फर्म अर्जित की जा रही है)	प्रतिकर की धनराशि (रुपयों में)
1	श्री सीताराम सुगर मिल्स लिमिटेड, बैतालपुर, देवरिया	(अड़सठ लाख अड़तालीस हजार एक सौ उन्सठ रुपये) (68,48,159)
2	देवरिया सुगर मिल, देवरिया	(बासठ लाख तिरासी हजार इक्यावन रुपये) (62,83,051)
3	रत्ना शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, शाहगंज, जौनपुर	(अठासी लाख इक्तीस हजार छः सौ चौसठ रुपये) (88, 31, 664)
4	नवाबगंज शुगर मिल्स क0 लि0, गोण्डा	(सत्ताइस लाख सत्तर हजार रुपये) (27,70,000)

6-(1) उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी सन् मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे। — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 1989

आज्ञा से,

नारायण दास,

सचिव।

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Aritcle 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chini Upkram (Arjan)(Sanshodhan) Adhiniyam. 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 30 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by President on October 30, 1989.

THE UTTAR PRADESH SUGAR UNDERTAKINGS (ACQUISITION) (AMENDMENT) ACT. 1989

(U. P. Act No. 30 of 1989).

[*As passed by the U. P. Legislature*]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) Act, 1971

IT IS HEREBY enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) (Amendment) Act, 1989 — Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 21, 1989.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) Act, 1971, hereinafter referred to as the principal Act,- — Amendment of section 2 of U. P Act no. 23 of 1971

(a) *for* clause (a), the following clause shall be *substituted* namely :

"(a) 'Appointed day'in relation to the undertakings specified in Schedule I means July 3, 1971 and in relation to the undertakings specified in Schedule-II means October 28, 1984 and in relation to the undertakings specified in Schedule III means April 24 1989;"4;

(*b*) in clause (h): for the words "in Schedule-I or Schedule-II" the words "in any of the Schedules to this Act" shall be *substituted*.

3. In section 7 of the principal Act in sub-section (5) for the words "Schedule-I or Schedule-II, as the case may "be the words" any of the Schedules to this Act" shall be *substituted*. — Amendment of seotion 7.

4. In section 16 of the principal Act, in sub-section (1) in the proviso— — Amendment of section 16.

(a) *for* the words "granted to any person after the thirty-first day of March, 1970 or thirty-first day of March, 1983 according as the undertaking is specified in Schedule-I or Schedule-II" the words "granted to any person afterthe 31st dayofMarch, 1970 in relation to an undertaking specified in Schedule-I 31st day of March, 1983 in relation to an undertaking specifiedin Schedule-III and such date as may be notified by the State Government in this behalf in relation to an undertaking spedified in Schedule-III (such dates hereinafter referred to as the specified date)" shall be *substituted*: and

(b) *for* the words "prior to the thirty-first day of March 1970 or thirty-first day of March, 1983, according as the undertaking is specified in Schedule-I or Schedule-II" the words "prior to the specified date" shall be *substituted*.

Insertion of new Schedule III

5. *After* the existing Schedule-II to the principal Act, the following Schedule shall be *inserted*, namely :—

"SCHEDULE III

[*See* SECTION 2 (*h*) AND 7(5)]

Column 1	Column 2	Column 3
Serial	Name in which the factory is registered with the Chief Inspector of Factories, Uttar Pradesh and its address (NOTE— Where the factory is registered in the the name of company or firm owning or holding the factory on lease the name as registered is specified in this column, but such specification shall not be construed to mean that it is that company or firm that is being acquired by virtue of section 3)	Amount of compensation (in rupees)
1	Shri Sita Ram Sugar Mills Ltd., Baitalpur, Deoria	(Rupees sixty-eight lakh forty-eight thousand one hundred fifty-nine) (68,48,159)
2	Deoria Sugar Mill, Deoria	(Rupees sixty-two lakh eighty-three thousand fifty-one) (62,83,051)
3	Ratna Sugar Mills Co., Ltd., Shahganj, Jaunpur	(Eighty-eight lakh thirty-one thousand six hundred sixty-four)] (88.31,664,00)
4	Nawabganj Sugar Mills Co. Ltd., Gonda	(Rupees twenty-seven lakh seventy thousand) (27,70,000)

U. P. Ordinance no.4 of 1999

6. (1) The Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) (Amendment) Ordinance, 1989, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Narayan Das
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 167 सा0 विधा0—(2926)—1989—850 (मेक0)।